सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 17/2018 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS No.: 2018/00033

अनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रकाशचन्द्र पिता भगवानलाल ब्राह्मण, निवासी मेहरो का गुडा, तहसील सलुम्बर।
2. श्रीमती गोरीदेवी पत्नी देवराम निवासी धावडी, तहसील सलुम्बर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 08-05-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 13/2015 अनवान सरकार जरिये तहसीलदार सलुम्बर बनाम श्री प्रकाशचन्द्र पिता भगवानलाल ब्राह्मण व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2017 द्वारा प्रार्थी तहसीलदार सलुम्बर का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे किये गये आवंटन को बहाल रखे जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व प्रार्थी तहसीलदार सलुम्बर द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में प्रथम अपील पेश किये जाने पर माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2018 में निर्णय दिनांक 14.11.2018 अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.07.2017 को अपास्त किया जाकर उनके द्वारा दिये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्षों की साक्ष्य सबूत प्राप्त कर एवं सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण पुनः इस न्यायालय में प्रति प्रेषित किया।

माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना मे प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री महेन्द्र मेनारिया अधिवक्ता द्वारा अण्डरटेकिंग दी गयी, किन्तु प्रकरण में पेरवी हेतु उपस्थित नही हुये और न ही वकालात पत्र पेश किया। प्रकरण में माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा अपने निर्णय में मूलतः प्रकरण इस आधार पर प्रतिप्रेषित किया है कि ''विद्यालय को पूर्व में आवंटित भूमि ही पश्चात्वर्ती रूप से रेस्पोडेन्ट को आवंटित

की गयी है।'' उक्त निर्देशों के क्रम में तहसीलदार सलुम्बर से तथ्यात्मकरिपोर्ट मंगवायी गयी। तहसीलदार सलुम्बर द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व / आ.नि./प्र.सं. 17/2018/302, दिनांक 01.03.2019 द्वारा अवगत कराया कि राजस्व ग्राम कल्याणाकला, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 2740/785 रकबा 0.20 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में राउप्रावि, मेहरों का गुड़ा के नाम दर्ज होकर वर्तमान में विद्यालय का भवन बना हो विद्यालय संचालित है। ग्राम कल्याणाकला की आराजी संख्या 2722/785 रकबा 0.70 हेक्टेयर भूमि राउप्रावि, मेहरों का गुडा के नाम दर्ज होकर वर्तमान में रास्ते के रूप में उपयोग में आकर पड़त पड़ी हुई है एवं आराजी नम्बर 2725/806 रकबा 0.50 हेक्टेयर भूमि गोरी देवी पत्नी देवराम जोशी, साकिन धावडी एवं 2726 रकबा 0.50 हेक्टेयर भूमि प्रकाशचन्द्र पिता भगवानलाल ब्राम्हण के नाम दर्ज होकर पड़त पड़ी हुई है। साथ ही यह तथ्य सही है कि विद्यालय को पूर्व में आवंटित भूमि को ही पश्चातवर्ती रूप से रेस्पोडेन्ट को आवंटित कर दी गयी जो खारिज किया जाना उचित होगा। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित न रहने से प्रकरण में एक तरफा बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुये विद्यालय को आवंटित भूमि ही पश्चातवर्ती रूप से रेस्पोडेन्ट को आवंटित होने के कारण विपक्षीगण के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने की मांग की।

हमने राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, माननीय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.11.2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से मनन किया। प्रकरण मे विवाद राजस्व ग्राम कल्याणाकला तहसील सलुम्बर के साबिक आराजी संख्या 806 रकबा 1.00 हे. भूमि का हैं, जिसमें से 0.50 हैक्टेयर भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 श्री प्रकाशचन्द्र पिता भगवानलाल ब्राहम्ण को एवं 0.50 हैक्टेयर भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 2 श्रीमती गोरीदेवी पत्नि देवराम को दिनांक 30.05.2000 को किया गया है। माननीय न्यायालय भू–प्रबंधन अधिकारी, पदेन राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के क्रम में तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पूर्व में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेहरो का गुडा को आवंटित भूमि ही पश्चातवर्ती रूप से रेस्पोडेन्टस् को आवंटित की गयी है एवं नियमानुसार पूर्व किये गये आवंटन को निरस्त किये बिना पुनः अन्य व्यक्ति आवंटन नही किया जा सकता है। वर्तमान में उक्त आराजियात पर रेस्पोडेन्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, किन्तु यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट को आवंटित उक्त आराजी आज भी मौके पर पडत है। इस प्रकार विद्यालय को आवंटित भूमि ही पश्चातवर्ती रूप से रेस्पोडेन्टस को गलत आवंटित हो जाने से ऐसे आवंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर द्वारा आराजी संख्या 806 पर जरिये आवंटन पत्रावली संख्या 110/2000 एवं 116/2000 से दिनांक 30.05.2000 को किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर